न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

ता. रजू 29.8.2008

मु. नं. 81/08

पीठासीन अधिकारी - जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

1. विशम्भर दयाल पुत्र श्री किशोरी लाल जाति महाजन निवासी अनंतपुरा तहसील टोडाभीम (वादी)

बनाम

1. किशोरी पुत्र श्री प्रभू लाल जाति महाजन निवासी अनंतपुरा तहसील टोडाभीम।
2. शकुन्तला पुत्री श्री किशोरी लाल पत्नि बनवारी लाल जाति महाजन निवासी कानेटी तहसील राजगढ़ (अलवर)।
3. पुष्पादेवी पुत्री श्री किशोरी लाल पत्नि महेश चन्द जाति महाजन निवासी सवाईराम गढ़ी तहसील सवाईराम गढ़ी जिला अलवर।
4. ललिता देवी पुत्री श्री किशोरी लाल पत्नि नरेश कुमार जाति महाजन निवासी सौंधा तहसील महवा जिला दौसा।
5. राजेन्द्र कुमार दत्त क पुत्र हीरालाल जाति महाजन निवासी अनंतपुरा हाल कपड़ा मंडी टोडाभीम।
6. पूरन पुत्र प्रभूदयाल जाति महाजन निवासी अनंतपुरा हालवासी विवेकानन्द कॉलोनी कचहरी रोड महवा।
7. श्रीमति सुशीला देवी बेवा रामदयाल जाति महाजन निवासी अनतपुरा हालवासी विवेकानन्द कॉलोनी कचहरी रोड महवा जिला दौसा
8. तहसीलदार टोडाभीम

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति - श्री सुनील कुमार जिंदल एडवोकेट (वादी)
प्रतिवादी गण की ओर से कोई नहीं।

निर्णय दिनांक 25.4.17

संक्षेप में दावा का विवरण निम्न प्रकार है कि ग्राम अनन्तपुरा की भूमि रकबसरानम्बर 324 रकबा 39 ऐयर, 325

(लगातार)

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

रकबा 39 ऐयर, 662 रकबा 36 ऐयर, 663 रकबा 30 ऐयर, 667 रकबा 29 ऐयर, 676 रकबा 25 ऐयर, 679 रकबा 32 ऐयर, 788 रकबा 6 ऐयर, कुल किता 8 कुल रकबा 2.36 है० साबिक खसरा नम्बर 347 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 349 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 356 रकबा 1 बीघा, 358 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा 422 रकबा 5 बिस्वा 150 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा से बनाये गये है। जो वादी व प्रतिवादी नं. 2 ता 5 के बाबा, प्रतिवादी नं. 1 व 6 के पिता तथा प्रतिवादी नं. 7 के ससुर स्वर्गीय प्रभूलाल पुत्र झूल्या की खातेदारी की आराजीयात है जो जमाबन्दी 2031 से 2034 मे दर्ज है। यह पैत्रक आराजीयात है वादी बाई बर्ष कानूनन अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण प्रभूलाल की संतति है, आराजीयात विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त प्रतिवादी नं. 1 का इस जमीन मे 1/4 हिस्सा है। उक्त हिस्सा 1/4 मे से वादी का 1/20 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 ता 4 का 4/20 हिस्सा बनता है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्सों पर काबिज है। उक्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादी नं. 5 राजेन्द्र ने प्रतिवादी नं. 1, 6, 7, 8 के विरुद्ध इस न्यायालय मे दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया जिसमें दिनांक 8.4.03 को प्राथमिक डिक्री व दिनांक 29.6.06 को फाईनल डिक्री होकर बंटवारा का इन्द्राज जमाबन्दी मे हो गया लेकिन प्रतिवादी नं. 6 ने असंतुष्ट होकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर मे अपील प्रस्तुत करदी थी उनके निर्णय दिनांक 30.08.2007 से न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम का निर्णय दिनांक 29.6.2006 - निरस्त किया गया जिससे उक्त आराजी पूर्वानुसार खातेदारों के नाम हो गई लेकिन हाल जमाबंदी मे राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के आदेश का अंकन नही किया जिस कारण जमाबंदी आधार वर्ष 2005 में दर्ज खातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक हुआ। घटना दिनांक 11.08.2008 का है कि वादी अपने हिस्से की आराजी में खड़ी फसल बाजरे की साल संभाल कर रहा था कि प्रतिवादी नं. 1 आया और वादी से कहा कि यह जमीन मेरी

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(लगातार)

खातेदारी की है इसलिए तुम इस जमीन में अपना कब्जा छोड़दो और मैं तुम्हें इस जमीन व किसी भी मेरी स्वयं की अर्जित पैत्रिक जमीन में से तुम्हें कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तुम्हारे कब्जे शुदा इस हिस्से की जमीन को मैं किसी दीगर व्यक्ति को या सुभाष चंद जो रामदयाल को गोद गया हुआ है, उसको रजिस्ट्री करा दूंगा लेकिन तुम्हें पैत्रिक सम्पत्ति में से हिस्सा नहीं दूंगा। जिस पर वादी ने अपने पिता प्रतिवादी नं. 1 से काफी गिड़गिड़ाया और कहा कि मैं भी तुम्हारा पुत्र है, पैत्रिक सम्पत्ति में मेरा भी हिस्सा है। तुमने मुझे मकान में भी हिस्सा नहीं° दिया उसे भी तुमने गोद गये सुभाष चंद को दे दिया मेरे साथ अन्याय मत करो लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने। इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख. नं. 324, 325, 662, 663, 667, 676, 679, 788 ग्राम अनन्तपुरा में प्रतिवादी नं. 1 किशोरी के 1/4 हिस्से में से वादी 1/20 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी नं. 1 ता 4 4/20 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। बैंयारा स्कीम तलब फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कियाजावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री नन्दराम एड०, प्रतिवादी नं. 6 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता, प्रतिवादी नं. 5 की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा एड० ने उपस्थित होकर वकालत नामा पेश किये। प्रतिवादी नं. 2, 3, 4, 7 को रजिस्ट्री समन भिजवाये गये किन्तु उपस्थित नहीं° होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी नं. 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त तथ्य व इबारत गलत है। विशेष विवरण में अंकित किया है कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात से संबंधित एक मुकदमा रजिन्द बनाम किशोरी दि० 29.6.06 को फाईनल डिक्री किया गया। अपीलीय न्यायालय से वापिस आ गया है पुनः बैंयारा

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

स्कीम मंगवाने के आदेश प्रदान किये है। तारीख पेशी दिनांक 10/1/18 नियत है। हैरान परेशान करने से यह दावा पेश किया है दावा खारिज योग्य है। मेरे दो लड़के व चार लड़किया है, दूसरे नम्बर का लड़का सुभाष को रामदयाल को गोद दे दिया है, पुत्री कान्ता को गोद नही दिया है। पैत्रिक जमीन में मेरा 1/4 हिस्सा है जिसमे वादी, मेरा एवं चार पुत्रियो का मिलाकर प्रत्येक का 1/24 हिस्सा बनता है। जिसमे वादी ने अपने हिस्से को मुझे बेचान कर दिया है और मेरी बेक पर सम्पूर्ण मेरे 1/4 हिस्से को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया है जो वादी की फर्जकारी एवं बदयान्ति का प्रतीक है। प्रतिवादी की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है वादी के अलावा लड़कियाँ अपनी ससुराल मे रहती है। वादी ने समस्त जमीन को बेच दिया और बँटवारा का भी दावा कर दिया है मैने पुत्र वादी को पाल पोषकर बड़ा किया, उसकी नौकरी लगवाई परन्तु मेरी वृद्धावस्था मे मुझ पर केस कर दिया इस प्रकार वादी ने गलत मुकदमा किया है, खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी नं. 5 की ओर से पेश किये जवाब मे अंकित किया है कि वाद पत्र मे दर्ज आराजीयात का माननीय उप जिला कलक्टर टोडाभीम न्यायालय से विधिवत बँटवारा हो चुका है जिसमे प्रतिवादी नं. 5 राजेन्द्र दत्तक पुत्र हीरालाल को ख.नं. 324 रकबा 39 ऐयर, 325/2 रकबा 7 ऐयर, 662/2 रकबा 11 ऐयर एवं ख.नं. 789 रकबा 6 ऐयर मे से 1/4 हिस्सा का विधिवत बँटवारा हो चुका है। एवं उसी अनुरूप काबिज है।

प्रतिवादी नं. 6 ने जवाब पेश नही कर जवाब बन्द करा लिया।

निम्न प्रकार तनकीयात स्पष्ट की गई।

1. आया यह है कि वाद पत्र के मुतजिक्रा मद नं. 1 मे वर्णित भूमि पैतृक सम्पति है प्रतिवादी नं. 1 के हिस्से 1/4 मे से वादी 1/20 एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 4 का 4/20 हिस्सा बनता है वादी एवं प्रतिवादी इस हिस्सानुसार मौके पर काबिज है। दावा डिक्री कराने का हकदार है।

(जिम्मे वादी)

2. आया यह है कि वाद पत्र के मुतजिक्रा मद नं. 1 मे वर्णित भूमि का बँटवारा कराने खातेदारी का हकदार है। (जिम्मे वादी)

उप जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner

3. आया यह है कि वादी के गलत तथ्यों पर दावा पेश किया है मेरे दो लड़के एवं चार लड़की है दूसरा लड़का सुभाष गोद दे दिया है, लड़कियां ससुराल में रहती है मेरी पैतृक अधीन हिस्सा 1/4 में से वादी का 1/24 हिस्सा बनता है वादी ने अपने हिस्से की भूमि को विक्रय कर दिया है वादी ने समस्त अधीन का बेचान कर दिया है तथा बँटवारा का भी केस कर दिया है वादी का केस गलत है खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी)
नं. 1

4. आया यह है कि वाद पत्र के मुताबिक मद नं. 1 में वर्णित भूमि का बँटवारा हो चुका है। ख. नं. 324 रकबा 0.39 है०, 325/2 रकबा 0.07 है०, 662/2 रकबा 0.11 है० तथा 788 रकबा 0.06 है० में से हिस्सा 1/4 पर काबिज है।

(जिम्मे प्रतिवादी)
नं. 5

वादी ने साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किया तथा जमाबन्दी सम्वत 2063-2066 प्रदर्श 1, जमाबन्दी संवत 2031-2034 प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल संवत 2043-2062 प्रदर्श 3 पेश किये। प्रतिवादी वकील को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु प्रतिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की बाद में प्रतिवादी वकील एवं प्रतिवादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

उपजिला कलेक्टर (करौली)

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने बहस में कथन किया कि प्रतिवादी नं. 1 वादी का पिता है, बुजुर्ग है, उनकी मृत्यु के पश्चात स्वाभाविक रूप से हिस्सानुसार भूमि वादी के नाम आनी है, इसलिए बँटवारा की रिलीफ नहीं चाहते हैं केवल स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया जावे कि भूमि का रहन व्यय नहीं किया जावे। वादी वकील की बहस पर मनन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी ने साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2063-2066 प्रदर्श 1, जमाबन्दी संवत 2031-2034 प्रदर्श 2, मिलानक्षेत्रफल

(लगातार)

फसल संवत 2043-2062 प्रदर्श 3 प्रस्तुत किये हैं। जमाबंदी संवत 2043-2062 प्रदर्श 3 के अनुसार भूमि प्रतिवादीगण। के पिता प्रभूलाल पुत्र भूल्या के नाम दर्ज है, प्रदर्श 2 के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान से कायम हुए नवीन खसरा नम्बर 324, 325, 662, 663, 667, 676, 679, 788 कुल किता 8 कुल रकबा 2.36 है० ग्राम अनन्तपुरा की खातेदारी प्रदर्श 1 के अनुसार प्रतिवादीगण। के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज है। जिससे भूमि पैतृक होना साबित है। वादी वकील ने तकासमा की रिलीफ नहीं चाहते हुए केवल रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की रिलीफ चाही थी।

वादी वकील की बहस पर मनन कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम अनन्तपुरा की भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 0.39 है०, 325 रकबा 0.39 है०, 662 रकबा 0.36 है०, 663 रकबा 0.30 है०, 667 रकबा 0.29 है०, 676 रकबा 0.25 है०, 679 रकबा 0.32 है०, 788 रकबा 0.06 कुल किता 8 कुल रकबा 2.36 है० में प्रतिवादीगण। अपने हिस्सा 1/4 का रहन बिक्रय नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.4.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)